

कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.)

॥ ज्ञापन ॥

21 JUL 2026

क्रमांक 5605/26

उज्जैन, दिनांक-

प्रति,

ग्रामीण/शहरी
विद्युत न्यायालय,
जिला मुख्यालय उज्जैन म.प्र.।

मुख्य अभियंता (सी.ई.)
विद्युत विभाग,
उज्जैन म.प्र.।

समस्त अधिवक्तागण,
एम.पी.ई.बी. प्रकरण,
जिला मुख्यालय उज्जैन म.प्र.।

विषय - एम.पी.ई.बी. के समस्त प्रकरणों में ई-फाईलिंग अनिवार्य रूप से किये जाने बाबत।

संदर्भ - ई-फाईलिंग ट्रेनिंग दिनांक 15.05.2026 के अनुक्रम में।

-0-

उपरोक्त विषयान्तर्गत यथाआदेशानुसार लेख है कि जिला उज्जैन में एमपीईबी के प्रकरणों में नियुक्त अधिवक्तागण को एमपीईबी के समस्त प्रकरणों में ई-फाईलिंग किये जाने हेतु जिला न्यायालय उज्जैन में दिनांक 15.05.2026 को ई-फाईलिंग की ट्रेनिंग प्रदाय की गई है।

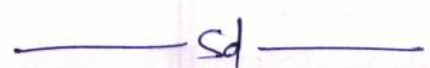
उपरोक्त ई-फाईलिंग की ट्रेनिंग पूर्ण होने से एमपीईबी के समस्त प्रकरणों में ई-फाईलिंग अनिवार्य रूप से (compulsory) किया जाना सुनिश्चित करें।


वास्ते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जिला न्यायालय उज्जैन.

क्रमांक 5606/26

उज्जैन, दिनांक-21/07/26

प्रतिलिपि- प्रभारी अधिकारी, फाईलिंग अनुविभाग, जिला न्यायालय उज्जैन की ओर सूचनार्थ पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


वास्ते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जिला न्यायालय उज्जैन.